न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ......

निग – 4129 – PBR–15 –

प्र. क्र. /15 निगरानी

1. राधेश्याम पुत्र तुलसीराम बैरागी
2. दिनेश पुत्र तुलसीराम बैरागी
3. धनश्याम पुत्र तुलसीराम बैरागी
4. अनवर पुत्र घीसा नायता
5. गनी पटेल पुत्र स्माईल
6. जगन्नाथ मृतक तर्फे वारिस उमराव एवं भोंवर सिंह पुत्र जगन्नाथ
7. सरदार सिंह मृत तर्फे बसीर पुत्र अकबर पटेल
8. अब्बास पुत्र रमजू मृत तर्फे भोंवर सिंह पुत्र जगन्नाथ
9. गीताबाई पत्नी श्यामजी निवासीगण– ग्राम सौनवाय तहसील महू जिला इंदौर

———प्रार्थीगण

दिनांक 30.12.15 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत।
30.12.15
SO

बनाम

1. मदनलाल पुत्र छोटू
2. रामलाल पुत्र लखन
3. दरियाबबाई पत्नी अर्जुन
4. जमुनाबाई बेवा गणेश
5. श्यामलाल पुत्र लखनलाल समस्त निवासीगण–32 आनंद नगर जिला इंदौर

————प्रतिप्रार्थी

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व सहिंता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 26/10/15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महू जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक–26/14–15 अपील</u>

श्रीमान महोदय,

प्रार्थीगण की और निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4129–पीबीआर/2015 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–01–2016	आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26–10–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 2/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण की ओर से एक आवेदन व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल आवेदकगण की आपत्ति पर विचार करते हुये सुनवाई का अवसर प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं, उसका आवेदन अमान्य किया है। अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश विधिक दृष्टि से पूर्णतः औचित्य पूर्ण है क्योंकि अपील का निराकरण गुणदोष पर ही किया जाना चाहिये। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	